न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद।

सत्र परीक्षण संख्या 1109/2016

सरकार बनाम हेम सिंह

धारा 302 भा०दं०सं०

थाना लोनी बोर्डर, जिला गाजियाबाद।

दिनांक 11.08.2023

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त हेम सिंह जेल से उपस्थित आया। उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली में पूर्व नियत तिथि पर साक्षी पी०डब्ल्यू० 11 मनोहर लाल राजपूत का साक्ष्य अंकित कराय गया था तथा पत्रावली आज शेष अभियोजन साक्ष्य हेतू नियत है। न्यायालय द्वारा साक्षी कांस्टेबल 272 संत कुमार, कांस्टेबल 2260 अवधेश यादव व विवेचक रणवीर सिंह यादव को साक्ष्य हेतू तलब किया गया था। उपरोक्त साक्षीगण में से आज कोई भी साक्षी अभियोजन की तरफ से साक्ष्य हेतू उपस्थित नहीं किया गया है, जबकि प्रस्तुत वाद में अभियोजन को बार-बार शीघ्र निस्तारण हेतू निर्देशित किया जा रहा है तथा अवगत कराया जा रहा है कि प्रस्तुत वाद अण्डर ट्रायल है, प्राचीन है एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत वाद के शीघ्र निस्तारण हेतू निर्देश भी पारित किये गये हैं।

ऐसी स्थिति में प्रत्येक दशा में प्रस्तुत वाद का शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदार) द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में वास्ते अगला साक्ष्य विवेचक रणवीर सिंह यादव का अंकित कराना है, किन्तू प्रस्तुत वाद में माल मुकदमाती विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से अभी तक प्राप्त न होने के कारण आज साक्षी को साक्ष्य हेतू प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सका है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में माल मुकदमाती को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से मंगाये जाने हेतू याचना की गयी है। अभियोजन की ओर से की गयी याचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा पूर्व नियत तिथि पर माल मुकदमाती को मंगवाये जाने हेतू पूर्व से ही समय की याचना की जानी चाहिए थी। चूंकि आज ही न्यायालय में माल मुकदमाती के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना है, ऐसी स्थिति में आज ही अभियोजन द्वारा माल मुकदमाती विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से वापस प्राप्त न होने के संबंध में किये गये कथन से विदित हो रहा है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में पूर्व से साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में कोई तैयारी नहीं की जा रही है, जबकि प्रस्तुत वाद में शीघ्र निस्तारण के संबंध में अभियोजन को प्राथमिकता बरतनी हेतू निर्देशित भी किया जा चुका है, किन्तू इसके बावजूद भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में लापरवाही बरती जा रही है। अतः पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन को न्यायाहित में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अभियोजन आगामी नियत तिथि 22.08.2023 पर प्रत्येक दशा में माल मुकदमाती के साथ साक्षी रणवीर सिंह यादव को वास्ते साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करे तथा माल मुकदमाती के संबंध में संयुक्त निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ को पत्र प्रेषित हो कि वे आगामी दिनांक 22.08.2023 तक न्यायालय में माल मुकदमाती प्रस्तुत करायें।

दिनांक 18.08.2023 (सीमा सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद